

14.6.22

पतावली पेश हुई। वकील पदकारान के मुद्राधिकार/ प्राथमिक वकील प्राथमिक एवं अप्राथमिक गणों को नामांकन समझने के बाद आवेदन गवाइ गईलेकिन कोई उपायित मही हुई और आ-ही प्रमात्र अवसर को अप्राथमिक गणों की तामील हेतु तलबाना मोहस पेश नहीं किया गया है।

अतः प्राथमिक प्रथम पत्र अन्तर्गत धारा 212- रा-ही-ए-प्रमात्र अवसर को अप्राथमिक गणों को वास्तु तामील तलबाना मोहस पेश नहीं करने के अभाव में अन्तर्गत आदेश 09 किप्रम 05 को सहित जोरिज किया जाता है। पतावली जो सल सुमा 2 होकर मम्बर-से काम होकर चालिक दण्ड हो। निर्णय खुले-वसामालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
सायिद लेक

